राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि. / म.स्वा.कार्य. / एम–181 / 2026/218 दिनांक : 17/8/26

"संक्षिप्त विज्ञप्ति"

(महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2026–27 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में सत्र 2026–27 हेतु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिनांक 24.08.2026 से दिनांक 07.09.2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन हेतु पात्रता / योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार है :–

1.	शैक्षणिक योग्यता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डो की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2.	आयु (31.12.2026)	आयु दिनांक 31.12.2026 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देय है। (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका / प्रमाण पत्र मान्य होगा।)
3.	सीटों की संख्या	1650 सीटे
4.	आरक्षण	राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (आरक्षण के लाभ हेतु राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें / ओ.बी.सी. / EWS/MBC का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो।) आरक्षण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। आंगनबाडी कार्यकर्ता, विधवाओं एवं तलाकशुदा एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों, विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा।
5.	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि विज्ञप्ति के जारी होने की दिनांक को नवीनतम जारी अनुदेशिका के अनुरूप 2 वर्ष (18 माह + 6 माह इन्टर्नशिप) होगी।
6.	स्टाईफण्ड	चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाईपेंड देय होगा।
7.	चयन प्रक्रिया	**चयन जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) पर काउंसलिंग द्वारा होगा।** निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा स्वतः ही अस्वीकार माने जायेगें।
8.	आवेदन शुल्क	**संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के नाम देय 20/– रूपये** (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है।
9.	विस्तृत विज्ञप्ति	विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वैबसाईट rajswasthya.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
10.	आवेदन पत्र किस पते पर	आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो उस जिले के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 07.09.2026 तक प्रस्तुत किये जा सकते है। (आवेदन पत्र रजिस्टर्ड / साधारण डाक / स्पीड पोस्ट / व्यक्तिशः भिजवाये जा सकते है।) निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट :– अधिक जानकारी हेतु विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वैबसाईट rajswasthya.rajasthan.gov.in पर देखें।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर